सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 137 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :–18.07.2023

1. धापूबाई पत्नी कल्याणराम जाति माली निवासी मांगलीखुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री कैलाश नामधराणी
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 15 / 04 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 96 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3266 / 2482 रकबा 0.3237 हैक्टेयर विस्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–79 में प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि खसरा संख्या 3266 / 2482 प्रार्थीया ने आज करीब 9–10 वर्ष पूर्व उक्त भूमि के पूर्व खातेदारान से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। क्रय करने के बाद खातेदारान ने प्रार्थीया को मौके पर भूमि का कब्ज संभालाया था तब से ही प्रार्थीया क्रय की गई उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि क्रय करते समय क्रय की गई भूमि का नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हो रहा था। इस कारण प्रार्थीया पूर्व खातेदारान द्वारा संभलाऐ गए कब्जे के अनुरूप क्रय की गई भूमि पर काश्त करती आ रही है। वर्तमान में राजस्व नक्शा ट्रेस में ऑनलाईन भूमियों का अंकन करते समय प्रार्थीया के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 3266 / 2482 के स्थान पर भूमि खसरा संख्या 2482 तरमीम कर दी गई है जबकि प्रार्थीया का मौके पर जहॉ खसरा संख्या 2482 तरमीम की गई है, उस स्थान पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया को बिना

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सुने एवं प्रार्थीया की भूमि का बिना मौका मुआयना किए प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 2482 को नक्शा ट्रेस में तरमीम किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। प्रार्थीया मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया के कब्जे के स्थान पर भूमि खसरा संख्या 2482 की तरमीम कर दी गई है। इस कारण उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया भूमि कय करने के समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है एवं भूमि कय करने के बाद भूमि पर काफी रूपया व्यय कर काबिल काश्त बनाया है। उक्त गलत तरमीम की जानकारी होने पर जनवरी 2023 में प्रार्थीया ने तहसीलदार हिण्डोली को इस संबंध में आवेदन किया। इस पर श्रीमान तहसीलदार हिण्डोली ने पटवारी हल्का व कानूनगो को उक्त संबंध में जांचकर इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु आदेशित किया किन्तु पटवारी हल्का व कानूनगो ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की एंव प्रार्थीया से कहा कि न्याायालय से कार्यवाही पेश कर न्यायालय आदेश करवाने पर ही उक्त गलती को दुरूस्त किया जा सकेगा। प्रार्थीया को न्यायालय श्रीमान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त गलत तरमीम को निरस्त कराने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया को उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी जनवरी 2023 में संबंधित नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर हुई। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया का निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 3266/2842 की नक्शे में गलत रूप से दर्ज की गई तरमीम को दुरूस्त किया जाकर मौके पर कब्जे अनुरूप नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया के स्वामित्व भूमि खसरा संख्या 3266/2482 की तरमीम किऐ जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :– राजस्व/25/700 दिनांक 26.03.2025 अनुसार खसरा संख्या 3266/2482 प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। नक्शा शीट में जहॉ खसरा संख्या 3266/2482 की तरमीम हो रही है वहॉ खातेदार का कब्जा नहीं होकर मूल खसरा संख्या 2482 सिवायचक पर है। खसरा संख्या 3266 की जगह खसरा संख्या 2482 की जगह खसरा संख्या 3266/2482 की तरमीम किए जाने से प्रार्थीया की तरमीम कब्जे अनुसार सही हो जायेगी। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा भी वर्तमान तरमीम को खारिज कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के तरमीम किया जाना अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा के खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 3266/2482 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीया के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 3266/2482 वाके पंगारा पटवार मण्डल पंगारा की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 3266/2482 की तरमीम प्रार्थीया के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 16.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/04/2025.

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446